न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंण्डल

नि - 3022 - II/16

ग्वालियर म0प्र0

राजस्व निग0प्र0क0- /016

भाई लाल यादव पिता स्व0नचकू यादव निवासी ग्राम पटेहरा बस्तीबानी हाल निवासी शिवगढ़,तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0------------आवेदक

बनाम

1. शीतला प्रसाद गुप्ता पिता मोती लाल गुप्ता
2. गणेश प्रसाद गुप्ता पिता मोती लाल गुप्ता

उपरोक्त दोनो निवासी पटेहरा बस्ती बानी,तहसील हनूमना जिला रीवा म0प्र0

3. शासन म0प्र0 ----------अनावेदकगण

श्री अशोक त्रिपाठी अभि0 द्वारा आज दि. 5-9-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी बिरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा के अपील प्रकरण कमांक 341/अपील/014-015 मे पारित आदेश दिनांक 17.08.016 के बिरूद्ध ,अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी

महोदय

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक01,02 अपने भूमि नम्बर 166/1 का नक्शा तर्मीम किये ज ाने हेतु एक आवेदन पत्र प्र0क021अ3/13-14 तहसीलदार महोदय तहसील हनुमना के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन के आधार पर दिनांक 90,03.014 को राजस्व निरीक्षक मंण्डल खटखरी के द्वारा तहसीलदार महोदय हनुमना को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सूचना पत्र भी जारी किया गया,जिस सूचना पत्र मे आवेदक एवं अनावेदकगणो के हस्ताक्षर भी है और मौके पर कब्जे के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3022–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 341/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व का नक्शा तर्मीम किये जाने हेतु एक आवेदन तहसीलदार हनुमना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण कमांक 21/अ–3/13–14 पंजीबद्ध कर प्रकरण में सूचना पत्र जारी किये जिसपर आवेदक एवं अनावेदकगणों के हस्ताक्षर भी है तथा मैके पर कब्जे के आधार पर आदेश दिनांक 27–3–14 को नक्शा तर्मीम के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के समक्ष समयबाधिक अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 1/अ–3/14–15 में पारित आदेश दिनांक 27–2–15 के अपील को समयबाधित मानते हुये निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसपर अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 341/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 17–8–16 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार के समक्ष नक्शा तरमीम हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदक एवं अनावेदकगण की उपस्थिति में नक्शा तरमीम की कार्यवाही संपादित हुई। अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा तत्समय तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। तहसीलदार के अंतिम आदेश दिनांक 27–3–14 हो हुआ था, जो अनावेदकगण की जानकारी में था। जानकारी के बावजूद अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध 6 माह विलम्ब से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयबाधित होने से निरस्त किया। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के समयबाधित अपील के विरूद्ध गुण–दोष पर आदेश पारित कर दिया। अपर आयुक्त को मात्र अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध समय–सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त जब तहसीलदार के समक्ष अनावेदकों की मंशा के अनुरूप नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई थी तब उन्हें अपील प्रस्तुत करने के अधिकारिता नहीं थी। अपर आयुक्त द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बिना विचार किये अनावेदकों की अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न सूचना

पत्र एवं स्थल पंचनामा सह नजरी नक्शा की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों दस्तावेजों पर अनावेदक कमांक गणेश प्रसाद एवं शीतल प्रसाद सहित सरहादी काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने एवं तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने तक अनावेदकों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति क्यों प्रस्तुत नहीं की गई जबकि तहसीलदार द्वारा भी अनावेदकों की नक्शा तरमीम के संबंध किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का लेख है, परन्तु अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनावेदकों को तहसीलदार के नक्शा तरमीम के आदेश की जानकारी थी तथा उनकी उपस्थिति में नक्शा तरमीम की कार्यवाही संपादित की गई थी इसके बावजूद भी अनावेदकों द्वारा 6 माह विलम्ब से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके दिन प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक न बता पाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयबाधित मानकर निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तार से आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। चूंकि अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उनकी जानकारी एवं उपस्थिति में हुई नक्शा तरमीम के आदेश को 6 विलम्ब से प्रस्तुत करना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में निकाले गये निष्कर्षों को निरस्त कर अपील को स्वीकार

करने में त्रुटि की है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है, अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17–8–16 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार हनुमना एवं अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश स्थिर रखे जाते हैं। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य